भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2780

(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही

2780. श्री आलोक शर्मा:

श्रीमती हिमाद्री सिंह:

डॉ. राजेश मिश्रा:

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) चरण ।। के अंतर्गत आवासों के आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार संभावित लागत वृद्धि को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बना रही है कि ये आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुलभ और किफायती बने रहें;

(ग) क्या इन लाभार्थियों के लिए सतत जीवन दशाएं सुकर बनाने के लिए जलापूर्ति , बिजली और सड़क जैसी अतिरिक्त अवसंरचना सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) अब तक भोपाल , शहडोल, सीधी और हाथरस संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाने का लक्ष्य है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी)- 2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों तथा संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने पर आधारित है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पात्रता

की पहचान करने के लिए इन मापदंडों/मानदंडों को एसईसीसी 2011 डेटाबेस और आवास+2018 पर लागू किया गया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु पीएमएवाई-जी को 5 और वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक) के लिए विस्तारित करने की मंज़ूरी दी है। मंत्रिमंडल ने संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके आवास+ सूची को अद्यतन करने को भी मंज़ूरी दी है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, घरों की पहचान से लेकर निर्माण पूरा होने तक की प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता लाने और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों का उपयोग करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक नया सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है:

i. **आवास+** 2024 **ऐप-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक अनूठा ऐप , जिसमें पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षकों के माध्यम से सहायता प्राप्त सर्वेक्षण, आवास तकनीकी चयन, चेहरा प्रमाणीकरण, आधार आधारित ई-केवाईसी, घर का डेटा कैप्चर, मौजूदा आवास की स्थिति, मौजूदा आवास के प्रस्तावित निर्माण स्थल की समय मुद्रित और जियो टैग की गई फोटो जैसी सुविधाएँ हैं। ऐप ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। पीएमएवाईजी (2024-29) के अगले चरण के लिए आवास+ 2024 ऐप सर्वेक्षण में पात्र परिवारों के लिए "**स्व-सर्वेक्षण**" सुविधा उपलब्ध है।

ii. धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों को रोकने और संभावित अनियमितताओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एआई/एमएल मॉडल का उपयोग।

iii. अनुशंसा प्रणाली–यह मॉड्यूल एक पूर्ण निर्मित आवास की अपलोड की गई तस्वीरों में पक्की दीवार, पक्की छत, कच्ची दीवार, कच्ची छत, लोगो, खिड़की, दरवाजा और व्यक्ति जैसी आवासों की विभिन्न विशेषताओं की पहचान करता है और अनुमोदन के लिए अंतिम तस्वीर की अनुशंसा करता है।

iv. ई-केवाईसी ऐप–यह ऐप आधार के साथ एकीकृत है और पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए एआई-सक्षम फेस प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करता है।

v. जीवंतता पहचान: लाभार्थियों की पहचान के लिए आवास ऐप में आई ब्लिंक/शारीरिक गति की पहचान की सुविधा।

vi. 100% आधार-आधारित भुगतान: लाभार्थियों के खातों में सीधे अंतरण किया जाएगा।

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली इकाई सहायता केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार है और वर्तमान में मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों सहित) में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों [उत्तराखंड , हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)] के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्तपोषण पैटर्न 90:10 है जबकि बाकी राज्यों के लिए 60:40 है और विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% वित्तपोषण केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।

इकाई सहायता के अलावा , लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से अकुशल श्रम मजदूरी के 90/95 श्रम दिवसों की सुविधा प्रदान की जाती है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य विशेष स्रोत के माध्यम से प्रदान की जाती है।

कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए इकाई सहायता के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। योजना को और अधिक वहनीय बनाने के लिए , इस योजना में राज्य-विशिष्ट आवास डिजाइन शामिल किए गए हैं और स्थानीय सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है जिससे लागत कम रहती है और पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम होते हैं।

(ग) जी, हाँ। इस योजना के तहत , पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए , अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण को प्रोत्साहित किया जाता है। दिशा-निर्देशो के अनुसार एसबीएम-जी , मनरेगा या किसी अन्य विशेष वित्तपोषण स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण में सहायता दी जाती हैं। पाइप से पेयजल आपूर्ति , बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, सौर लानटेन और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा , रुफ टॉप सोलर, मनरेगा के माध्यम से निर्माण सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति और सरकारी कार्यक्रमों के तहत स्व सहायता समूह प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ाव के लिए अभिसरण भी किया जा रहा है।

(घ) मंत्रालय राज्यों को लक्ष्य आवंटित करता है और आगे राज्य सरकार द्वारा जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को लक्ष्य आवंटित किया जाता है। राज्यों द्वारा भोपाल , शहडोल, सीधी और हाथरस संसदीय क्षेत्रों में आवंटित लक्ष्य और स्वीकृत आवासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

[इकाई संख्या में]

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी)	राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राज्य द्वारा स्वीकृत मकान	राज्य द्वारा निर्मित मकान
भोपाल *	47,719	49,971	35,575
शहडोल #	1,94,286	1,88,178	1,66,730
सीधी $	136058	124293	101908
हाथरस@	2361	2361	2327

* भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भोपाल जिला और सीहोर जिले के सीहोर ब्लॉक शामिल है।

#शहडोल संसदीय क्षेत्र में अनूपपुर, उमरिया जिले और शाहडौल जिले के जयसिंहनगर, बुढार ब्लॉक शामिल हैं।

$सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीधी जिले और शहडोल जिले के ब्योहारी ब्लॉक शामिल है।

@हाथरस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाथरस, सादाबाद, सिकंदराराऊ ब्लॉक और अलीगढ़ जिले के इगलास और छर्रा ब्लॉक (गंगरी में स्थित) शामिल हैं।

*****